2023 का विधेयक संख्यांक 119

[दि सैन्ट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधो के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश है ।

धारा 2 का संशोधन ।

2017 का 12

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(क) खंड (80) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

'(80क) "ऑनलाइन गेम खेलना" से इंटरनेट या इलैक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की प्रस्थापना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऑनलाइन धनीय गेम खेलना भी है ;

(80ख) "ऑनलाइन धनीय गेम खेलना" से ऐसा ऑनलाइन गेम खेलना अभिप्रेत है, जिसमें खिलाड़ी किसी आयोजन में, जिसमें गेम, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया भी है, धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी है, को जीतने की प्रत्याशा में, धन या धन के मूल्य का संदाय या जमा करता है, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी है, चाहे इसका परिणाम या निष्पादन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो या नहीं, तथा चाहे वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञेय हो या नहीं ;';

(ख) खंड (102) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(102क) "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे" से,—

(i) दांव लगाने ;

(ii) कैसिनो ;

(iii) द्यूतक्रीड़ा ;

(iv) घुड़दौड़ ;

(v) लाटरी ; या

(vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना,

में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है ।';

(ग) खंड (105) में, अंत में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों की पूर्ति की व्यवस्था या ठहराव करता है, जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है, जो ऐसी पूर्ति के लिए डिजिटल या इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का स्वामी है या उसका प्रचालन या प्रबंधन करता है, ऐसे अनुयोज्य दावों का पूर्तिकार समझा जाएगा, चाहे ऐसे अनुयोज्य दावे, उसके द्वारा या उसके माध्यम से पूर्ति किए जाते हों और चाहे ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति के लिए धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी है, में प्रतिफल, उसको या उसके माध्यम से संदत्त या सूचित किए जाते हैं या किसी भी रीति में उसको दिए जाते हैं, और इस अधिनियम के सभी उपबंध विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के ऐसे पूर्तिकार को लागू होंगे, मानो वह ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति करने के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी पूर्तिकार हो ।";

(घ) खंड (117) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(117क) "आभासी डिजिटल आस्ति" का वही अर्थ होगा, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (47क) में उसका है ;'। 1961 का 43

धारा 24 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 24 में,—

(क) खंड (xi) में, अंत में, "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (xi) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(xiक) भारत से बाहर किसी स्थान से, भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ; और"।

अनुसूची 3 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 6 में, "लाटरी, दांव और द्यूत" शब्दों के स्थान पर, "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों" शब्द रखे जाएंगे ।

संक्रमणकालीन उपबंध।

5. इस अधिनियम के अधीन किए गए संशोधन, दांव लगाने, कैसिनो, द्यूतक्रीड़ा, घुड़दौड़, लाटरी या ऑनलाइन गेम खेलने को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या विनियमित करने का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

माल और सेवा कर परिषद् (जीएसटी परिषद्) ने अपनी 50वीं और 51वीं बैठक में कैसिनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेम खेलने की कराधेयता संबंधी मुद्दों पर विभिन्न संगमों से प्राप्त प्रतिवेदन पर विचार किया था और कैसिनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेम खेलने की कराधेयता के संबंध में स्पष्ट उपबंध करने के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम) में कतिपय संशोधन करने की सिफारिश की ।

2. प्रस्तावित केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित का उपबंध करता है,—

(i) "ऑनलाइन गेम खेलना", "ऑनलाइन धनीय गेम खेलना", "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे" और "आभासी डिजिटल आस्ति" पदों को परिभाषित करना ;

(ii) 'विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे' की पूर्ति की दशा में, 'पूर्तिकार' से संबंधित स्पष्टता का उपबंध करने के लिए, 'पूर्तिकार' की परिभाषा में एक परंतुक अंत:स्थापित करना ;

(iii) अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 6 में, 'लाटरी, दांव लगाने और द्यूतक्रीड़ा' की वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, 'विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे' का प्रतिस्थापन करना, जिससे कैसिनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेम खेलने में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावों की कराधेयता के संबंध मे स्पष्टता का उपबंध किया जा सके ;

(iv) अधिनियम की धारा 24 में, भारत से बाहर किसी स्थान से, भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति करने वाले व्यक्ति के लिए बाध्यकारी रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करने के लिए एक नया खंड अंत:स्थापित करना ।

3. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
9 अगस्त, 2023

निर्मला सीतारामन

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 में भारत की संचित निधि से कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

उपाबंध

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 12) से उद्धरण

* * * * *

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,,—

* * * * * *

(105) माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में "पूर्तिकार" से उक्त माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत होगा और इसमें पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में ऐसे पूर्तिकार की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता सम्मिलित होगा;

* * * * * *

कतिमय मामलों में अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण ।

24. धारा 22 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्तियों के निम्नलिखित प्रवर्गों के लिए इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित होगा,

* * * * * *

(xi) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत से बाहर के किसी स्थान से ऑन लाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की भारत में किसी व्यक्ति को पूर्ति करता है;

* * * * * *

अनुसूची 3

धारा 7 देखिए,

ऐसे क्रियाकलाप या संव्यवहार जिन्हें न तो माल की पूर्ति माना जाएगा न ही सेवाओं की पूर्ति

* * * * * *

6. लाटरी, दांव और द्यूत के अतिरिक्त अनुयोज्य दावे।

* * * * * *